106/2016 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण सं0 106/2016 अनवानी मनोहरलाल पुत्र श्री रामरख जाति गायणा निवासी 4 सीसी चानणा तहसील पदमपुर बनाम 1–उपखण्ड मजि0 पदमपुर 2–बिश्नोई सभा, ग्राम चानणा जरिये अध्यक्ष वेदप्रकाश निवासी चानणाधाम तहसील पदमपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.02.2017

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थी के अभिभाषक श्री तेजा सिंह उपस्थित है। अप्रार्थी बिश्नोई सभा के अध्यक्ष श्री वेदप्रकाश के अभिभाषक श्री विजय रेवाड उपस्थित है। दोनो पक्षो के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी के अभिभाषक श्री विजय रेवाड़ का कथन है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पदमपुर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 6/2015 अनवानी बिश्नोई सभा ग्राम चानणा बनाम मनोहरलाल धारा 145 सी.आर.पी.सी. में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 411 सी.आर.पी.सी के तहत पेश किया है। चूंकि उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पदमपुर का पद रिक्त होने के कारण उनका अतिरिक्त कार्यभार उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीकरनपुर के पास था। चूंकि अब उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पदमपुर के पद पर नये पीठासीन अधिकारी नियुक्ति हो चुकी है और उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पदमपुर का कार्यभार नये पीठासीन अधिकारी द्वारा ग्रहण कर लिया गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर खारिज करने योग्य है।

प्रार्थी के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पदमपुर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 6/2015 अनवानी बिश्नोई सभा ग्राम चानणा बनाम मनोहरलाल धारा 145 सी.आर.पी.सी. में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 411 सी.आर.पी.सी के तहत पेश किया है। चूंकि उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पदमपुर का पद रिक्त होने के कारण उनका अतिरिक्त कार्यभार उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीकरनपुर के पास था। चूंकि अब उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पदमपुर के पद पर नये पीठासीन अधिकारी नियुक्ति हो चुकी है और उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पदमपुर का कार्यभार नये पीठासीन अधिकारी द्वारा ग्रहण कर लिया गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

421
21/02/17

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर